



न्यायालय सिविल जज (जू०डि०)/ न्यायिक मजिस्ट्रेट, महमूदाबाद-सीतापुर।

फौजदारी वाद संख्या-640/ 2007

सरकार

बनाम

गुड्डू उर्फ रामसिंह आदि।

अपराध सं०-115/ 2007

धारा-324,336,504,506 भा०दं०सं०

थाना-रामपुर मथुरा, जिला-सीतापुर।

आरोप

मैं, रोहित पुरी सिविल जज (जू०डि०)/ न्यायिक मजिस्ट्रेट, महमूदाबाद सीतापुर आप अभियुक्त जयकरण को निम्नलिखित आरोपों से आरोपित करता हूँ-

1. यह कि दिनांक-12.05.2007 को समय करीब 07.00 बजे सुबह, स्थान बहद ग्राम भागीपुर, थाना-रामपुर मथुरा, जिला-सीतापुर के सीमान्तर्गत आप अभियुक्त ने वादी मुकदमा छोटेलाल को बल्लम से मारकर उपहति कारित की। इस प्रकार आपने ऐसा आपराधिक कृत्य कारित किया जो धारा-324 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है तथा इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।
2. यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आप अभियुक्त ने श्रीमती मुन्नी देवी व उसके लड़के पर उतावलेपन और लापरवाही से ईटा फेककर उपहति कारित किया। इस प्रकार आपने ऐसा आपराधिक कृत्य कारित किया जो धारा-336 भारतीय दंड संहिता के अन्तर्गत दंडनीय अपराध है तथा इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।
3. यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आप अभियुक्त ने उपर्युक्त वादी मुकदमा व अन्य को गन्दी-गन्दी गालियां देकर साशय अपमानित किया। इस प्रकार आपने ऐसा आपराधिक कृत्य कारित किया जो धारा-504 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है तथा इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।
4. यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आप अभियुक्त ने उपर्युक्त वादी मुकदमा व अन्य को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभिन्नास कारित किया। इस प्रकार आपने ऐसा आपराधिक कृत्य कारित किया जो धारा-506 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है तथा इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

एतद्वारा मैं निर्देश देता हूँ कि उपर्युक्त आरोप के सम्बन्ध में आप अभियुक्त का विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जाय।

दिनांक:-02.12.2025

(रोहित पुरी)

सिविल जज (जू०डि०)/ न्यायिक मजिस्ट्रेट,

महमूदाबाद, सीतापुर।

J.O. Code-UP3474

आरोप अभियुक्त को पढ़कर सुनाया व समझाया गया। अभियुक्त ने आरोप को अस्वीकार किया तथा विचारण की मांग की।

दिनांक:-02.12.2025

(रोहित पुरी)

सिविल जज (जू०डि०)/ न्यायिक मजिस्ट्रेट,

महमूदाबाद, सीतापुर।

J.O. Code-UP3474

विजय मौर्य
(स्टेनो)